न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 47/2021

उनवान

1 रामदेव पुत्र चन्द्रा, जाति भांबी नि. रूपपुरा, बान्दनवाडा, भिनाय.
2. शिवराज
3. धर्मराज पुत्र छगना जाति जाट नि0 भटियाणी, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया

बनाम

गोरधन पुत्र रामनाथ जाति जाट नि0 भटियानी, नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

अवमानना आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2 अ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

दिनांक :– 5/8/24

–: आदेश :–

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय हाजा न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 88/2018 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र संख्या 59/2019 दर्ज कर दिनांक 20.02.20 को आराजी मुतनाजा पर अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक मोके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरूद्व कोई अपील चाराजोही नही की गयी है। प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर की अपील संख्या 95/20 रामदेव बनाम रामकरण की प्रस्तुत की गयी जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.03.21 को अस्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद का आदेश यथावत रखा। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद अप्रार्थी द्वारा मौके पर विवादित स्थल पर कुऐ की खुदाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर प्रार्थी के साथ मारपीट की गयी। अप्रार्थी जबरन प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता है। अतः न्यायालय आदेश की अवमानना के कारण अप्रार्थी को दण्डित किया जावे। अवैध निर्माण को हटाया जा कर जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आरजी मुतनाजा पर अप्रार्थी द्वारा पुराना कुआ खोदा गया है। राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रार्थीगण के मन में खोट आ गया है। प्रार्थीगण उक्त चाह को हडपने के लिये लडाई झगडा करते है। उक्त चाह पुश्तैनी समय से बना हुआ है। मौके पर आराजी मुतनाजा पर कोई परिवर्तन नही हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 59/2019 उनवान रामकरण बनाम रामदेव में दिनांक 20.02.2020 को आदेश पारित कर ग्राम भटियानी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

को मूल वाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया था। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त स्थगन आदेश के बावजूद अप्रार्थी आराजी मुतनाजा पर चाह खुदवा रहा है। प्रार्थी द्वारा विवादित स्थल की फोटो की छाया प्रति पेश की है जिससे सिद्व नही होता है कि उक्त फोटो विवादित स्थल की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में साक्ष्य पेश नही की गयी। अभिलेखिय साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद नही होती है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र ''खारिज'' किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested